B.P.A – 2

बजट आबंटन–दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना 100 प्रतिशत केन्द्रपोषित

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

13 अंकों का कोड – 2225032770102

सेवा में,

आहरण–वितरण अधिकारी/
पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक:003-POSTMATRIC CSP/ 2773 /पि0व0क0/के0/दशमो./2017–18,दिनांक: 16 मार्च, 2018

विषय–: वित्तीय वर्ष 2017–18 में केन्द्र पुरोनिधानित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (100 प्रतिशत केन्द प्रेषित) के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का आबंटन।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2017–18 में अन्य पिछड़े वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु शत प्रतिशत केन्द्रपोषित में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 34096.28 लाख (रूपया तीन अरब चालीस करोड़ छियानबे लाख अठठाईस हजार मात्र) के सापेक्ष प्राप्त केन्द्रांश रू0 37,96,31,000.00 (रू0 सैंतीस करोड़ छियाबे लाख इकत्तीस हजार मात्र) की स्वीकृति पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0– 07/2018/316/64–2–2018–1(03)/2017, दिनांक 15 मार्च, 2018 में अंकित शासनादेशों, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन जारी की गयी है। इस धनराशि को संलग्न विवरण के अनुसार शासनादेशों में अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपको आवंटित किया जा रहा है:–

1. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– 1/2016/बी0–1–746/दस–2016–231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 (छायाप्रति संलग्न) में अंकित दिशा निर्देशों, संगत वित्तीय नियमों एवं आदेशों तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवम् व्यय कार्यालय ज्ञाप संख्या: 11(1)–1(छात्रवृत्ति)/2013/64–2–2013, दिनांक 08 जनवरी, 2013 द्वारा निर्गत उ0प्र0 अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली–2012 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–637/64–2–2013–1 (छात्रवृत्ति)/2013, दिनांक 20 नवम्बर, 2013 द्वारा निर्गत उ0प्र0 अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (द्वितीय संशोधन) नियमावली–2013 एवम् कार्यालय ज्ञाप संख्या: 492/ 64–2–2014–1(छात्रवृत्ति)/2013 दिनांक 23 सितम्बर, 2014 द्वारा निर्गत उ0प्र0 अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (तृतीय संशोधन) नियमावली–2014 में उल्लिखित प्राविधानों/दिशा–निर्देशों तथा समय–समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों/दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रश्नगत प्रावधानों से विचलन अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय व्ययक की अनुदान संख्या– 79 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा–01–केन्द्र प्रायोजित योजनायें–0102–भारत सरकार द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (के. 100/रा. 00–के.)–21–छात्रवृत्तियॉ और छात्रवेतन" के नामे डाला जायेगा।
4. आवंटित धनराशि का किसी ऐसे मदों में व्यय कदापि न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन एवम् सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो। ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवम् अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवम् व्यय आवंटित धनराशि तक सीमित रखा जाय।
5. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6. नियमानुसार कोषागार से धनराशि का आहरण तभी किया जाय जब उसके भुगतान की तुरन्त आवश्यकता हो।

7. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सम्पूर्ण, मुख्य, उपमुख्य, लघु तथा विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाय, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।

8. बजट मैनुअल में निहित निर्देशों के अनुपालन में विभागीय आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आवंटन के सापेक्ष कोषागार से आहरित धनराशि के सम्बन्ध में बाऊचर संख्या तिथि तथा आहरित धनराशि का विवरण अनिवार्य रूप से अलग से प्रपत्र बी0एम0–8 पर भेजना सुनिश्चित किया जाये। इसका अनुपालन न करने की दशा में इसे अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।

9. दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु अर्ह कोई भी छात्र/छात्रा वंचित न रह जाय। साथ ही उपरिलिखित शासनादेशों में दिये गये मार्गदर्शक निर्देशों का उल्लंघन कर फर्जी धनराशि का वितरण न होने पाये। दशमोत्तर छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित कराई जाय। ताकि किसी भी स्तर पर अनियमितता से बचा जा सके।

10. इस सम्बन्ध में समस्त जनपद/मण्डल स्तरीय सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कराने के लिए अग्रेतर निर्देश आपके स्तर से जारी किये जायेंगे।

11. स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में वित्तीय वर्ष 2017–18 में किन्हीं नई मदों के उपयोग हेतु न किया जाये तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष धनराशि का समर्पण समसय कर दिया जाये।

12. उक्त से संबन्धित व्यय विवरण निदेशालय को नियमानुसार निर्धारित प्रारूप बी0एम0–8 पर एवं डी0डी0ओ0 रिकंसिलिएशन सीट के साथ समय से उपलब्ध कराना होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 35 पर अंकित है।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

(अनिल कुमार सागर)
निदेशक

पृ0स0:003-POSTMATRIC CSP / 2773 / पि0व0क0 / के0 / दशमो0छात्र0 / 2017–18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग–3/वित्त (बजट) अनुभाग–1/3, उत्तर प्रदेश शासन।
5. नियोजन अनुभाग–4
6. बिल सहायक, मुख्यालय।

(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018
आवंटन दिनांक-16/03/2018

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:- 003-Post Matric CSP
अनुदान संख्या:- 79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण(आयोजनेत्तर-मतदेय)
03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण
277 - शिक्षा
01 -
02 - भारत सरकार द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (के. 100/रा.00-के.)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4701-निदेशक , लखनऊ-01--	वर्तमान	379631000	379631000
		प्रगामी	1763331000	1763331000
	योग	वर्तमान	379631000	379631000
		प्रगामी	1763331000	1763331000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सैंतीस करोड़ छियानवे लाख इकत्तीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब छिहत्तर करोड़ तैंतीस लाख इकत्तीस हजार

(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी